

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 01/11/26

विषय- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 2,96,91,651/- (दो करोड़ छियानवे लाख इक्यानवे हजार छः सौ इक्यावन रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की निम्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 2,96,91,651/- (दो करोड़ छियानवे लाख इक्यानवे हजार छः सौ इक्यावन रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है :-

क्र०	भवन प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0 संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर	33708	Construction of 345 Bedded Girl's Hostel (G+5) in the campus of New Government Polytechnic, Patna-13	136/ 10.01.25	₹ 1,96,82,710/- (एक करोड़ छियानवे लाख बयासी हजार सात सौ दस रुपये)
2.	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	33644	सात निश्चय कार्यक्रम के अधीन विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर में शिक्षकों के लिए स्टूडियो आपर्टमेंट (G+5) भवनों के निर्माण कार्य	1499/ 27.03.25	₹ 1,00,08,941/- (एक करोड़ आठ हजार नौ सौ इकतालीस रुपये)
कुल योग-					₹ 2,96,91,651/-

(दो करोड़ छियानवे लाख इक्यानवे हजार छः सौ इक्यावन रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मॉग संख्या-03 के मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104-बहुशिल्प, उपशीर्ष-0108-पोलिटेकनिक भवन (निश्चय) विपत्र कोड-03-420201040108 के विषयशीर्ष-53-मुख्य कार्य-0108.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्यवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।